प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 421 सन 2021

अनवान :–

1. मांगीलाल पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजेन्द्र पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर हाल नहराना तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. लालचन्द पुत्र भोलुराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. रूकमा देवी पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. गायत्री देवी पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. भूरीदेवी पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. गीतादेवी पुत्री जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
6. सुनिता पुत्री स्व सन्तोष पुत्री लालचन्द जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
7. रमना पुत्री स्व सन्तोष पुत्री लालचन्द जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
8. पूजा पुत्री स्व सन्तोष पुत्री लालचन्द जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
9. मोनिका पुत्री स्व सन्तोष पुत्री लालचन्द जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
10. रामुराम पुत्र भोलुराम स्व सन्तोष पुत्री लालचन्द जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर हाल नहराना तहसील नोहर।
11. शैलेन्द्र पुत्र भोलूराम जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
12. महेन्द्र पुत्र भोलुराम जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
13. आदराम पुत्र भोलुराम जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
14. निरमा पुत्री भोलुराम जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
15. रोशनी पुत्री भोलूराम जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 21.11.2021.

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 124/119 की कुल 14.2480हैक् भूमि वादीगण के पिता 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 10 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा भोलाराम वल्द मंगलुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा भोलाराम वल्द मंगलुराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा भोलाराम वल्द मंगलुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ,11 ता 15 का प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ,14 ,15 वादीगण की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की पुत्री व मृतक पुत्री सन्तोष के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ,14 ,15 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 13 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 13 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की उसके नाम

से दर्ज भूमि उसके पिता भोलाराम वल्द मंगलुराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ,14 ,15 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 13 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 13 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 124/119 की कुल 14.2480हैक्ट भूमि वादीगण के पिता 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 10 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 मु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि भोलाराम वल्द मंगलुराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा भोलाराम वल्द मंगलुराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा भोलाराम वल्द मंगलुराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ,14 ,15 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ,14 ,15 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ,14 ,15 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 124/119 की कुल 14.2480हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्से में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के एवं प्रतिवादी संख्या 10 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 बहिब खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... .ललानिया

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मांगीलाल पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 राजेन्द्र पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर हाल नहराना

वादी

बनाम

1 लालचन्द पुत्र भोलुराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2 रूकमा देवी पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3 गायत्री देवी पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4 भूरीदेवी पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5 गीतादेवी पुत्री जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
6 सुनिता पुत्री स्व सन्तोष पुत्री लालचन्द जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
7 रमना पुत्री स्व सन्तोष पुत्री लालचन्द जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
8 पूजा पुत्री स्व सन्तोष पुत्री लालचन्द जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
9 मोनिका पुत्री स्व सन्तोष पुत्री लालचन्द जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
10 रामुराम पुत्र भोलुराम स्व सन्तोष पुत्री लालचन्द जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर हाल नहराना तहसील नोहर।
11 शैलेन्द्र पुत्र भोलूराम जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
12 महेन्द्र पुत्र भोलुराम जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
13 आदराम पुत्र भोलुराम जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
14 निरमा पुत्री भोलुराम जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
15 रोशनी पुत्री भोलूराम जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
16 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 421 सन 2021 निर्णय दिनांक– 21.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 124/119 की कुल 14.2480हैव भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्से में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के एवं प्रतिवादी संख्या 10 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 बहिब खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.11.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....ललानिया